हर साल एक लाख युवाओं को ब्याजमुक्त कर्ज

प्रदेश कैबिनेट के फैसले

10,00,000 युवा उद्यमी 10 साल में तैयार किए जाएंगे

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में हर साल एक लाख युवाओं को उद्यमी बनने के लिए 10 वर्ष तक 10 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त कर्ज मिलेगा। इसमें पहले चरण में पांच लाख रुपये का लोन शत प्रतिशत ब्याजमुक्त होगा। इसे चुकाने के बाद 10 लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज दर में छूट मिलेगी। इससे संबधित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को मंगलवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

प्रदेश सरकार ने योजना के जरिये 10 वर्ष में 10 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करने और रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है। जिला उद्योग व उद्यम प्रोत्साहन केंद्र को केंद्रीय एजेंसी की जिम्मेदारी दी गई है। योजना का लाभ पाने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा आठ रखी गई है। इंटरमीडिएट व समकक्ष को वरीयता मिलेगी।

आवेदक को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद, टूलकिट योजना, एससी-एसटी पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, कौशल विकास योजना जैसी सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं में प्रशिक्षित होना चाहिए या मान्यता प्राप्त विद्यालय से कौशल संबंधी सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा या डिग्रीधारी होना चाहिए।

दो चरणों में मिलेगा अनुदान

पहले चरण में अधिकतम पांच लाख रुपये तक की योजनाओं पर अनुदान मिलेगा। सामान्य वर्ग को

परियोजना लागत का 15 फीसदी, पिछड़े वर्ग को 12.5, एसटी आवदेक को 10 फीसदी स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। आर्थिक रूप से पिछड़े बुंदेलखंड व पूर्वांचल और आकांक्षात्मक जिले चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच के आवेदकों को परियोजना लागत का 10 फीसदी देना होगा। पांच लाख रुपये तक का लोन चार साल के लिए ब्याजमुक्त रहेगा।

- चार साल बाद मूलधन की वापसी करने वाले युवाओं को दूसरे चरण में परियोजना लागत अधिकतम 10 लाख रुपये कर दी जाएगी। पहले चरण में लिए गए लोन का दोगुना या 7.5 लाख रुपये, जो भी कम हो, उस लोन पर ब्याज में 50 फीसदी छूट मिलेगी। ये राहत तीन साल के लिए रहेगी। साथ ही परियोजना लागत या अधिकतम पांच लाख रुपये तक पर 10 फीसदी मार्जिन सब्सिडी दी जाएगी। ये सब्सिडी केवल पहले चरण पर लिए गए लोन पर लागू होगी। डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक रुपये प्रति ट्रांजेक्शन या अधिकतम 2000 रुपये सालाना की अतिरिक्त छूट मिलेगी।

4000 करोड़ से बढ़ेगी किसानों की आय

अमर उजाला ब्यूरो

यूपीएग्रीज परियोजना को मंजूरी
कृषि क्षेत्र में होंगे नवाचार
500 किसान जाएंगे विदेश

लखनऊ। प्रदेश में किसानों की आय में वृद्धि के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए करीब 4000 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू होगी। विश्व बैंक की मदद से यूपी एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथिंग (यूपीएग्रीज) परियोजना के जरिये कृषि क्षेत्र में नवाचार होंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे और 500 किसानों को तकनीक सीखने के लिए विदेश भेजा जाएगा।

कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में मंजूर प्रस्ताव के मुताबिक परियोजना में 2737 करोड़ रुपये 1.23 फीसदी की दर से विश्व बैंक कर्ज देगा। इसे 35 वर्ष में लौटाना होगा। राज्य सरकार अंशपूंजी के रूप में 1166 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसमें 200 करोड़ रुपये का पहले ही प्रावधान किया जा चुका है।

उद्यमियों को भी मिलेगा लाभ : यूपी प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेशन यूनिट (यूपीडास्प) के जरिये परियोजना का क्रियान्वयन 2030 तक होगा। इसके जरिये सभी किसानों, कृषक उत्पादक समूह/कृषि उत्पादक संगठन, पट्टाधारक मत्स्य पालक/मत्स्यजीवी सहकारी समितियां/ निजी तालाब के मत्स्य पालक व अन्य, उद्यमी/कृषि/मत्स्य उद्यमी/ महिला उद्यमी समूह, कुशल एवं अकुशल कृषि श्रमिक, कृषि क्षेत्र से जुड़े एंटरप्रेन्योर एवं निर्यातक को लाभ मिलेगा।

कृषि सेज और एक्सपोर्ट हब बनेंगे

परियोजना में प्रमुख फसलों की उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि की जाएगी। विशिष्ट कृषि उत्पादों के पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन, मूल्य संवर्धन गतिविधियों व बाजार सहयोगी व्यवस्था का विकास होगा। भंडारण, खाद्य प्रसंस्करण और इससे जुड़ी सुविधाएं बढ़ेंगी। जेवर एयरपोर्ट के पास एक्सपोर्ट हब बनेगा। दो से तीन उपज का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाएगा। कृषि एसईजेड (सेज) की स्थापना होगी। विश्वस्तरीय कार्बन क्रेडिट मार्केट बनाए जाएंगे। दो से तीन विश्वस्तरीय हैचरी स्थापित होंगी। परियोजना संचालन के लिए तीन समितियां बनेंगी।